

**Statutory Resolution disapproving the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019**

**and**

**The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019**

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move the following Resolution:—

"That this House disapproves the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (No.4 of 2019) promulgated by the President of India on 21st February, 2019."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ravi Shankar Prasad to move a motion for the consideration of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. Do you want to say something initially?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I move:

"That the Bill to protect the rights of married

Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, today is a very historical day. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): No. ...*(Interruptions)*... It is a dark day. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): It is a black day. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No comments, please. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, you are very senior. ...*(Interruptions)*... Why are you doing it? ...*(Interruptions)*... By saying or not saying something, a certain thing is not going to happen. By doing something while it comes for voting, then, you can perform your duty. ...*(Interruptions)*... Nothing would go on record other than what is permitted by the Chair. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, with all his experience, knows it. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, very briefly, may I indicate this? More than 20 Islamic countries have regulated triple talaq, talaq-e-biddat, in various forms. In reply, I would respond to those.

[Shri Ravi Shankar Prasad]

Sir, India is a secular country, but, unfortunately, for one reason or the other, it could not happen. 2013 में ट्रिपल तलाक की विक्टिम शायरा बानो और अदर्स सुप्रीम कोर्ट गये और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। Constitution Bench में दो जजेज़ ऑनरेबल जस्टिस नरीमन और ऑनरेबल जस्टिस ललित ने कहा कि it is arbitrary and unconstitutional. एक जज ऑनरेबल जस्टिस कुरियन ने कहा कि what is wrong in Quran cannot be valid in law. He set it aside, दो जजेज़ ऑनरेबल जस्टिस खेहर और ऑनरेबल जस्टिस नज़ीर ने कहा कि though it is an integral part but not the right part. The Parliament must take initiative. उन्होंने जो बात कही, उसकी मैं दो लाइनें जरूर पढ़ना चाहूंगा। I am quoting para 199. "We would, therefore, implore the Legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech the different political parties to keep their individual political games apart while considering the necessary measures requiring legislation." यह उन्होंने कहा था कि एक स्वर में सदन को बोलना चाहिए।

सर, हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद यह चीज़ खत्म हो जायेगी। हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों से भी अधिक मामले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तीन तलाक के 574 मामले आये, जिनमें से 345 cases are there till 24th of July, 2019. These are after the judgment of the Supreme Court. When recurrences were happening, हम ऑर्डिनेंस लेकर आये। ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए हैं। I have got all the newspaper reports but I do not want to quote. रोटी काली हो गई - Triple Talaq, पत्नी ने सब्जी के लिए पैसा मांगा - Triple Talaq. एक और रोचक बात है कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor, ताकि वह पत्नी की अश्लील वीडियो बनाए। यदि उसने विरोध किया तो - Triple Talaq. I have got all the material with me. They are all full; the newspaper reports are with me. अब मैं एक सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इस मुल्क की खवातीनों को हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। इसीलिए हम लॉ लाए हैं, because the law is a deterrence. मैं यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हमारे सामने यह मामला आया कि कुछ लोगों के मन में misgivings हैं, कोई पड़ोसी FIR file कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, इसलिए हमने लॉ में कहा कि - The FIR shall be filed only by the victim lady or a relation by blood or marriage. No outsider can do it. दूसरी बात सामने आई कि क्या compromise की कोई हैसियत होगी? We have made a provision that this is compoundable. At the instance of the wife, Magistrate can do it. कुछ लोगों ने कहा कि bail का क्या करेंगे? उसके लिए भी हमने provision रखा कि - Magistrate can give bail upon appropriate condition after hearing the wife. इसलिए हमने bail का प्रोविज़न भी रखा, समझौते का प्रोविज़न भी रखा और subsistence

allowance का प्रावधान भी रखा है। मेरी सदन से गुजारिश है कि मैं विस्तार से चर्चा के बाद उत्तर दूंगा, जब मैं सबकी बहस सुन लूंगा और मुझे मालूम है कि यह सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस सवाल को सियासत के चश्मे से न देखा जाए। इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जाए। ...**(व्यवधान)**... यह सवाल है इंसानियत का, इंसान का और मानवता का। ...**(व्यवधान)**... मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति:** आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... पूरा मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** एक तरफ मेरी बेटियां Olympic कुश्ती में gold medal जीत रही हैं। हमारी बेटियां Air Force के fighter plane चला रही हैं। हमारी बेटियां चन्द्रयान, मंगलयान प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** एक तरफ हमारी बेटियां 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' में ऊंचाई पर चढ़ रही हैं ...**(व्यवधान)**... दूसरी तरफ, तीन तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़ दें, यह मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Nothing shall go on record other than what the Minister's verbatim is ...*(Interruptions)*...

**श्री रवि शंकर प्रसाद:** मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा कि यह सदन ऊंचाई पर उठता है, आज यह मामला gender justice, gender dignity and gender equality का है। ...**(व्यवधान)**... यही कहते हुए, मैं बिल को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: The Motion moved. There are two Amendments by Shri Elamaram Kareem and Shri S.R. Balasubramoniyar for reference of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of Rajya Sabha. Members may move the Amendments at this stage without any speech.

#### **Motion for reference of the Bill to Select Committee**

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters

connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

*(Names to be given at the time of moving the motion)*

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: You have to give the names separately.

**Motion for reference of the Bill to Select Committee**

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, I move:

"That the Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing *talaq* by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

*(Names to be given at the time of moving the motion)*

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

*The questions were proposed.*

MR. CHAIRMAN: The Statutory Resolution, the Motion for consideration of the Bill and the Amendments moved for reference of the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha are now open for discussion. I only appeal to all the Members, the entire country is watching us. This is a Bill which has got its. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... If they see this sort of thing; sitting and then making commentary, they will not appreciate. Whatever you want to say, you have got every right to say. You will be given an opportunity. Then, you have got every right to vote for or against also. Then, at the end of it, the House will take a view. So, why should we have a running commentary on anything?

So, now, the discussion starts. Dr. Amee Yajnik. The time allotted to the Congress Party is 42 minutes. There are three speakers as of now. Please keep that in mind. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, as you said, this is a very important Bill. Give us some more time. ...*(Interruptions)*...



MR. CHAIRMAN: Please.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

**डा. अमी यज्ञिक** (गुजरात): सर, यह बहुत important बिल है और इस बिल में सबसे ज्यादा important जो बात है, वह महिला सशक्तिकरण की बात है, पर जब हम Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill की बात करते हैं, तो सिर्फ एक महिला की बात नहीं करते हैं, इसमें family unit आती है, उसमें husband आता है, बच्चे आते हैं, community आती है और बाकी सारी महिलाएं भी आती हैं। अगर हम इस बिल को उस तरीके से देखें, तो दो चीजें बहुत अहम हैं - एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा, यह equality before law की बात है। महिला सशक्तिकरण के इस background में हम ये दो चीजें भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के majority decision ने तो already बता दिया कि यह Section 2 arbitrary है, उसे strike down कर दिया है, तो उसके तहत यह कानून रहता ही नहीं है। वह arbitrary है, तो यह practice नहीं होनी चाहिए। उसको illegal ठहरा दिया गया है। पर, ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने बहुत महत्व की बात बताई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक पैराग्राफ quote किया। मुझे यह समझ में नहीं आया कि वे दो लफ्ज़, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम importance दिया, वे उनका analysis ही भूल गए। "Thoughtful Consideration", यह "Thoughtful Consideration" इस बिल में इसलिए नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की है, पर आपने उसको कोर्ट में धकेल दिया है, वह भी मैजिस्ट्रेट के क्रिमिनल कोर्ट में, जहां criminal jurisprudence चलता है। And, not in a family court where civil disputes can take place, family disputes can take place. इस तरह से आपने इसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। अगर कोई सताई हुई महिला है, तो उसको आपने criminal jurisprudence के realm में, arena में डाल दिया। उसको पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना है और मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कहना है कि मेरे पति ने मुझे तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया है, तो अभी मुझे उसका बेल करवाना है, मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, मुझे maintenance भी चाहिए। मैं खाना कहां से खाऊंगी? ये सारे प्रावधान हैं। इसको आपने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में डाल कर "Thoughtful Consideration" को बाहर फेंक दिया और criminalization angle को ला दिया। This was never discussed in the Supreme Court's Judgement and the hon. apex court ने आज तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया, जहां महिला को किसी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपने family unit, अपने फैमिली को ठीक से रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़े। Maintenance law हैं, child custody law हैं और अगर हम एक तबके की महिला की बात करते हैं, तो why is this Government not worried about all women of this country? Eighty-two per cent of the women face desertion. I will give you the latest example I had in Gujarat. A mother has come to me. एक माता जी मेरे पास आई और वह मुझसे कहती है कि यह मेरी लड़की है, इसने एमबीए किया हुआ है, शादी की हुई है, इसके पति ने इसको यह कह कर निकाल दिया है कि मुझे तुम नहीं चाहिए। अब काली रोटी हो गई, खाना

[डा. अमी यज्ञिक]

बनाना नहीं आता है, मिनिस्टर जी, ऐसी बातें करते हैं। That is across caste, across class and not only in India but in NRI marriages also कि तुमको खाना पकाना नहीं आता है। आप इस तरह से मत कहिए कि यह सिर्फ एक तबके की महिलाओं को फेस करना पड़ता है। वह माता जी मुझे कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई। I am talking of a Hindu community in Gujarat, coming from Surat and she said, उसको निकाल दिया है। न तो वह divorce देता है और न उसको Restitutin of Conjugal Rights के अंदर, जो केस मैंने कोर्ट में फाइल किया है कि she can unite with her husband. वह अपने पति के साथ नहीं जा सकती है। वह केस चलता नहीं है। इसलिए आप मेरी बच्ची का कानून के तहत लीगल स्टेटस बता दीजिए। उसको मैं क्या कहूँ? Married कहूँ, unmarried कहूँ, divorced कहूँ या त्यक्ता कहूँ? What should I call this child of mine? This is the pain of many mothers in this country. Sir, you have not taken into consideration women empowerment for the rest of the women. I am not against the Bill. I am very much for women empowerment. मैं महिला भी हूँ, लॉयर भी हूँ। मेरे पास बहुत महिलाओं के केसेज़ आते हैं, मैं आंकड़े भी दे सकती हूँ। हर चीज़ का आंकड़ा दे सकती हूँ। सर, रोटी काली हो गई, यह ही कारण नहीं है, तुमने मुझे क्यों कहा कि आज संडे है, तो मूवी दिखाने ले चलो, तुम नहीं कह सकती हो, ऐसे भी कारण हैं। ऐसा एक कौम में नहीं है, it is across women, and every woman somewhere or at some point in life, faces this problem. अगर आप ऐसा कहते हैं कि we are abolishing the Triple Talaq, तो यह तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है। Sir, you are an eminent lawyer. You are the law officer of this Parliament also, and with this kind of esteemed practice and experience, how can you bring a law on a practice, which is already struck down by the apex court? How can you bring? It is not there at all now. It is illegal. How can you bring a law now and say that we are empowering Muslim women? You have also brought one discretionary factor that not only the affected women, जिसको ट्रिपल तलाक बोल दिया, तलाक, तलाक, तलाक, वह ही नहीं, उसका ब्लड रिलेटिव भी केस कर सकता है। How can you bring a stranger or an alien component in a family unit? एक husband-wife का खुद का एक small, loving, family unit है, जिसमें बच्चे हैं, how can a third person intervene and go for a talaq matter in a Magistrates' court? That is the first intervention where I would like the hon. Minister to give me the logic, the reason to bring that particular word where it is a private matter between husband and wife, between two persons, which you are putting in a public space and making it absolutely violative of Fundamental Rights of a woman. She is entitled to dignity. Every law student, every law officer, every law maker in this country or the world over, should know what is the philosophy behind law. The philosophy behind law is to get justice. Justice is equal to fairness. And when we are talking of justice and fairness, the end product

is dignity. If we cannot give dignity, which is the end product of law, then, this law is of no use to any human being. That is why I am looking at the sole factor of the women getting equality before law, equality in society, equality in society in terms of dignity that she may live with her head high, hold her esteem and live a protected, safe, respectful life. This is the first point that you have brought in an alien factor in the private realm of husband and wife. The second point is this. Why am I going into criminalisation? We brought the Protection of Women from Domestic Violence Act in 2005. Today, all the matters of women have been shifted to the family courts where there is no police, there is no criminal procedure and there is a factum of a social service provider, which would help her so that she can tell her problems to that social service provider. That is how we went for the 2005 Act through the domestic realm to give her protection, to see that she does not sit in the line of the accused who are there in the Magistrates' Court either charged with Section 302 because it has to be submitted before the Sessions Court, be it theft or for some kind of bootlegging matter or some kind of bank fraud. All are sitting there and she is also sitting there in the Magistrates' Court if she wants maintenance. We shifted that in 2005, to the Civil Court. That is where she feels better. She takes help of a service provider. She takes help of a protection officer, not a police officer. So, we have made a huge shift and that is why women are there in Family Courts. Family Courts are manned by women Judges and women service providers. They sit there and they help. The children I am counselled. There is a factum of counselling the children as well. Now, by bringing this criminal angle, my first point is the Magistrates' Court. Ultimately, we are all Indians. An Indian woman is an Indian woman. We are not classifying her in caste, class or anything. She might be loaded with money; she might not be loaded with money. But, she wants her husband. So, she would ask for bail. So, again, you bring a factum of legal lawyers. You have not provided any legal aid factum here. How does a woman know that she is entitled to free legal aid? Have we done enough legal awareness everywhere that every woman knows her right that she has a right to legal aid? She can go to any court and ask for legal aid. She will get a lawyer who can help her with her matters. That is the second thing, Sir, the bail part. That is the most, I would not say a hard word like 'dangerous,' but, definitely a matter where you need to raise concerns. Why? Before the magistrate when the question of bail comes, and even maintenance comes, you abuse the word 'discretion of the magistrate'. Have you laid down any procedure what this discretion would mean to a magistrate in a family matter, Sir? We are talking of family matter. I know; I understand because you are going to take it in a general bracket, discretion of the magistrate. These are family matters. She

[डा. अमी यज्ञिक]

also wants custody of the children. You have provided that she can seek custody of her children. So, again, she has to apply for that. So, this is the third step in criminalization in a Magistrate's court. She is not in a family court. She is in a Magistrate's court where she is going to ask for all these things, and pray how is the husband going to give her maintenance when he is already facing a criminal trial in the Magistrate's court? He is already facing bail proceedings. We do not know how is he going to manage his bail through a lawyer, or, whatever his bail bonds are. When is he going to get the bail, and he is going to be sent to judicial custody? So, how is he going to provide maintenance to this woman, to this lady, who has asked for maintenance, also asked for custody of children? Sir, the most important इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो बच्चे होते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि उनके माता-पिता मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? आपने इसका कोई प्रावधान नहीं किया है कि Yes, हम बिल ला रहे हैं, तो हम as a ruling party, as a Government, as a State, हममें इतनी क्षमता है कि हम तब तक इन बच्चों का ध्यान खुद रखेंगे, जब तक यह matter solve नहीं होता है। When you are talking of twenty countries, fifty countries, globalization, Sir, in these countries, when children are there on the streets, or, facing these problems, two things come to the fore. The Government fixes onus, takes away those children in their care, and second, they give them psychological counselling. Both these things are completely given a go by. Sir, if we want to compare ourselves with other countries of this world, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें सुपर पावर बनना है, तो हमें विमेन को सुपर बनाना पड़ेगा। अगर हमें विमेन को सुपर बनाना है, तो let them be dignified women. उसको कोर्ट में मत धकेलिएगा।

एक और सिस्टम है, that is the fifth point, Sir. सर, आपने यह कहीं भी जिक्र नहीं किया कि आपकी जब बेल ऐप्लिकेशन आएगी, फिर दो हफ्ते के बाद looking to the courts का जो roster होता है, दो हफ्ते के बाद आपकी बेल ऐप्लिकेशन लगेगी। जब उस पर सुनवाई होगी, तब और दो हफ्ते हो जाएँगे। सर, आपने इसमें trauma के बारे में नहीं सोचा है कि महिला का और बच्चों का क्या होगा? Our society does not allow the woman to forget कि तुम्हारा जो यह केस चल रहा है। The society, first of all, convicts her before the trial begins. सर, यह stigma, यह trauma, अगर आप इन पाँच फैक्टर्स पर ध्यान देते, तो आप यह भी सोचते कि दो लाख हिन्दू महिलाओं का जो यह जो डेटा आया है -- मुझे अच्छा नहीं लगता। When I talked about a woman, मुझे खुद शर्म आती है कि मैं जब महिला को मुस्लिम वुमैन कहती हूँ, हिन्दू वुमैन कहती हूँ, पारसी वुमैन कहती हूँ, no, she is a mother; she is a daughter; she is a sister; she is nothing else but a woman. प्लीज़ सर, यह अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप महिला एम्पावरमेंट लाइए, you bring on a large scale. हाँ किसी भी महिला का रेप न

हो, किसी भी बच्ची का रेप न हो, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वह अपना सिर ऊंचा रखकर चले और उसका टाइम इन सब कोर्ट्स में ज़ाया न हो। Women are really full of power. उनकी एनर्जी होती है। सर, उनका काम यह नहीं है कि वे अपने पति को छुड़ाने के लिए कोर्ट में जाएं, आप उनको social empowerment कीजिए कि वे रोड पर अपना सिर उठा कर चल सकें, किंतु उनको कोर्ट में न धकेलिए। आप ऐसा कीजिए कि आप उनको ज़रूर ट्रिपल तलाक से मुक्त कराइए। I am for it, Sir, but please give them the dignity. आप उनको ऐसे सारे accused के साथ मत बिठाइए। This is a burning issue. I would definitely support the Bill, but not the criminalization. That is why, I request you to take out the criminal angle from this particular Bill. I feel that you would listen to me. Thank you, Sir.

**श्री उपसभापति:** माननीय मुख्तार जी, आपको मैं बोलने के लिए परमिशन दूँ, उसके पहले माननीय बशिष्ठ जी बोलकर जाना चाहते हैं, आपकी इजाज़त हो, तो वे 5 मिनट के लिए बोलेंगे। माननीय बशिष्ठ नारायण जी, आपके पास 5 मिनट का समय है।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार):** उपसभापति महोदय, बहुत सलीके और तरीके से हमारे माननीय मंत्री, रवि शंकर प्रसाद जी ने इस बिल के संबंध में अपनी बात रखी। मैं नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक आज इस बिल के समर्थन में न बोलूंगा, न इसमें साथ दूंगा। उपसभापति महोदय, इसकी कुछ वजह है, इसके कुछ बैकग्राउण्ड भी हैं। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, हर पार्टी को उस पर स्वतंत्रता है कि उस विचारधार पर आगे बढ़े, उस विचारधारा को लागू करने के लिए प्रयास करे और उस विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए बैकग्राउण्ड भी तैयार करे और उसका स्वरूप भी तैयार करे।

महोदय, हम जिस मान्यता को मानते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, हम उनकी विचारधारा के ऊपर आज भी चलने का प्रयास करते हैं। हम जयप्रकाश नारायण जी को, डा. राम मनोहर लोहिया जी को, महात्मा गांधी जी को, डा. भीम राव अम्बेडकर जी को और महात्मा फुले जी के आदर्शों पर चलने में विश्वास रखते हैं। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, हम उनके कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष मनाने का काम करते हैं, इनकी जयंतियों और इनकी पुण्य तिथियों को मनाने का काम करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वे युगपुरुष थे। महात्मा गांधी जी, डा. राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण जी के विषय में मेरी धारणा है और इस देश के अनेक राजनीतिक मनीषियों के विषय में मेरी धारणा है कि वे जितने बड़े राजनेता थे, उससे बड़े समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के कई प्रमाण भी हैं और मैं स्वयं इसलिए कहता हूँ कि गांधी जी को ले लीजिए, जय प्रकाश नारायण जी को ले लीजिए, लोहिया को ले लीजिए... जो चौखम्बा राज की बात चल रही है, क्या कई चरणों में सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है? आज गांधी जी का ग्राम स्वराज्य... आज पंचायतों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। गांधी जी को गए हुए बहुत लम्बा काल हो गया, जय प्रकाश नारायण जी को गए हुए लम्बा काल हो गया, लोहिया जी को गए हुए लम्बा काल हो गया, लेकिन उपसभापति महोदय, विचार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। उसकी



[श्री बशिष्ठ नारायण सिंह]

धारणाएं कुछ बदलती, बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन विचार की यात्रा चलती रहती है और इसका स्पष्ट प्रमाण भी है। मैं, महात्मा गांधी जी के कुछ examples को क्वोट करूंगा। उन्होंने शराबबंदी के संबंध में Lord Irwin को पत्र लिखा था, क्योंकि वे मानते थे कि शराब एक बड़ी बुराई है और उन्होंने बाद में लिखा कि यदि मैं देश का शासक हो जाऊं, तो सबसे पहले मैं इस पर अंकुश लगाने का काम करूंगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** कृपया शांत हो जाइए।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:** महोदय, नारी आंदोलन लोहिया जी का था।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, Rule 258...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order. Sir, I seek your protection.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, when the Bill is being discussed....  
...(Interruptions)... क्या बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my simple point of order is, the Minister moved a Bill and he spoke. After that, the Congress Party Member spoke. Fine! The next speaker is from the BJP. If the BJP chooses not to speak, we are the third largest Party, the Trinamool Congress. How come the JD (U) is speaking now? I have no problem if the BJP has given them the time, but the next speaker needs to be from the Trinamool Congress. That's all. Thank you.

**श्री उपसभापति:** आप हाउस में मौजूद नहीं थे। मैंने हाउस की permission ली थी, चूंकि वे अस्वस्थ हैं, जाना चाहते हैं। माननीय बशिष्ठ नारायण सिंह जी आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप continue करें। सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। ...**(व्यवधान)**... आप continue करें। ...**(व्यवधान)**...

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:** मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि विचार की यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती है। उन लोगों ने जो सपना देखा था, समाज का भविष्य जिस रूप में देखा था, आज भी समाज उसको पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रयास कर रहा है। आप बिहार में ही देख लीजिए, जैसे तीन तलाक का सवाल है, इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण और बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या है और तिलक-दहेज भी एक गंभीर समस्या है। ऐसी सामाजिक रूढ़ियां लंबे काल से चल रही हैं, जो आज जड़ जमा चुकी हैं। जब कोई चीज़ प्रचलित व्यवस्था में रहती है, जो जड़ जमा चुकी होती है, तो उसको दूर करने के लिए समय लगता है। मैं यह मानता हूँ कि इसके लिए बड़े अभियान की जरूरत है। आज पंचायतों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर आरक्षण दिया गया है। ...**(समय की घंटी)**...

उसका असर दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ कि यह जो विधेयक है, यह एक सवाल है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है महोदय ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** माननीय बशिष्ठ जी आप कन्क्लूड करिए।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:** इस सदन की बड़ी खासियत है - हम आते हैं, विरोध करते हैं, हम समर्थन में बोलते हैं। मैं सबसे बड़ी खूबी यह देखता हूँ कि असहमति पर भी सहमत होकर इस हाउस से निकलते हैं कि मैं आज असहमत हूँ, कल इस पर बहस होगी और फिर सहमत होने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, लेकिन अब हम इस विषय पर सदन से बहिष्कार करते हैं।

*(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)*

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी):** धन्यवाद। सर, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज यह सदन 33 सालों के बाद फिर से एक बार इस सामाजिक कुरीति और कुप्रथा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 'शाह बानो' के मुद्दे पर फैसला दिया था, तो उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी सदन में 8 मई, 1986 को एक बिल लाया गया था और उस बिल को कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी उस समय लोक सभा में 400 सीटों से ज्यादा थी और इस सदन में 59 सीटें खुद कांग्रेस की थी और उनके साथियों को मिलाकर 200 सीटें थी, यानी पूरा संख्या बल इनके पास था, लेकिन किस तरह से इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी किया गया। आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर श्री रवि शंकर प्रसाद जी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आज देश जुल्म और इंसानियत पर कुठाराघात करने वाली इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले कानून पर जो चर्चा हो रही है, जो बिल पर चर्चा हो रही है, उसको देख रहा है। मुझे लगता है कि कई ऐसे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब माननीय लॉ मिनिस्टर साहब देंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसमें तीन चीजें कहना चाहता हूँ। पहला, हमारी बहन, माननीय सदस्या ने कहा कि आपको महिलाओं की क्या चिंता है, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए - बिल्कुल करनी चाहिए, सभी की चिंता कर रहे हैं, तभी यह कर रहे हैं। हम संवैधानिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के पूरी तरह से पक्ष में हैं। इन पांच सालों में हमने महिलाओं के लिए क्या किया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 करोड़ हिन्दुस्तानियों की आधी आबादी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान जो 161 जिलों में था, ...**(व्यवधान)**... अब 640 जिलों में कर दिया है। बेटियों के भविष्य के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' में 1 करोड़, 26 लाख से अधिक बैंक खाते खुलवाए। उसके अलावा 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना' में 75 प्रतिशत महिलाओं को लाभ हुआ और 19 करोड़, 50 लाख लोगों को जो लाभ दिया गया ...**(व्यवधान)**...

**एक माननीय सदस्य:** दंड भी लगाया, यह भी बताएं!...(व्यवधान)...

**श्री मुख्तार अब्बास नकवी :** उनमें 75 प्रतिशत महिलाओं को लाभ हुआ है। पिछले पांच वर्षों में 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' के तहत 36 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले, जिसमें 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। उसके अलावा प्रत्येक 'महिला स्वयं सहायता समूह' की सदस्य को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत 10 करोड़ 44 लाख से ज्यादा शौचालय खुले, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ। 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 7 करोड़, 55 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया। 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत देश भर में करोड़ों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की योजना को मिशन मोड में किया गया।

महोदय, अब अल्पसंख्यक महिलाओं की बात पर आते हैं। हमने कहा कि हम 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों की बात करते हैं तो उसकी आधी आबादी महिलाएं हैं। हम पूरी तरह से उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और समावेशी सशक्तीकरण के पक्ष में हैं। महोदय, skill development के हमारे तमाम कार्यक्रम हैं, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के कार्यक्रम हैं, उसमें हमने 8 लाख, 50 हजार से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार और रोजगार के मौके दिलाए, जिसमें 60 प्रतिशत लड़कियां हैं। जो dropout rate होता है, खास तौर से लड़कियों का, जब 2014 में हम आए, उस समय वह dropout rate 72-73 प्रतिशत हुआ करता था, हमने जो scholarship दी, ...(व्यवधान)... उससे जो 3 करोड़, 18 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए, उनमें 60 प्रतिशत लड़कियां थीं, जिससे उनका dropout rate घटकर 34-35 प्रतिशत हो गया और उसे हम ज़ीरो प्रतिशत पर लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ-साथ आपके समय में जो महिलाएं अकेले हज पर जाना चाहती थीं, उस पर रोक लगा रखी थी। आपने कहा कि बिना मेहरम के आप हज पर नहीं जा सकती। मोदी जी ने बिना मेहरम के महिलाओं को हज यात्रा पर जाने पर रोक खत्म की और इस बार 2,300 महिलाएं अकेले हज यात्रा पर जा रही हैं। 2019 में जो 2 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक कुरीति और सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए हम इस कानून को ला रहे हैं।

महोदय, इसके लिए तर्क दिया जाता है, अभी हमारी बहन ने भी तर्क दिया, कई लोग बाहर भी तर्क देते हैं कि जब यह unconstitutional हो गया, illegal हो गया तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? उपसभापति महोदय, क्या कत्ल constitutional है, legal है, क्या बलात्कार constitutional है, legal है, क्या आतंकवाद constitutional है, legal है, क्या चोरी constitutional है, legal है, क्या जो तमाम जघन्य अपराध हैं, वे constitutional हैं, legal हैं? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी Government of the day होगी, उसकी constitutional responsibility है कि वह उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि इस जघन्य अपराध को करने वाला उसे करने से पहले सौ बार सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा

तो मैं जेल जाऊंगा। कुछ कहते हैं कि अगर पति जेल चला जाएगा तो क्या होगा? अरे, मैं कहता हूँ कि आप ऐसे कुकर्म करो ही क्यों कि आपको जेल जाना पड़े। ...**(व्यवधान)**... आप उन बेसहारा महिलाओं के साथ हैवानियत का काम करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाए! इसलिए यह सुधार से जुड़ा हुआ मामला है, आप सुधार की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप वोटों के उधार की चिंता कर रहे हैं। इन वोटों के उधार के चक्कर में आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उपसभापति महोदय, इस सदन में जैसा मैंने कहा कि 8 मई, 1986 को जब चर्चा हुई थी, तो हमारे एक बहुत ही सम्मानित सदस्य थे और खास तौर पर अगर यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों, तो वे इस बात को जरूर सुनें। उन्होंने इसी सदन में चर्चा के दौरान जो बातें कही थीं, वे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वे सदस्य थे - मुस्तफा बिन कासिम। मुस्तफा बिन कासिम साहब ने इस सदन में जो कहा था, मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, "I would like to place before this august House that the attitude of the Government, यानी कांग्रेस पार्टी, needs total exposure to the people. What makes you oppose the judgement of the Supreme Court in Shah Bano's case? Let me tell you, Sir, and the honourable Members of this House that because of sheer political opportunism for making some minor, temporary electoral gains, they have surrendered nakedly to the whims and caprices of the fundamentalists of the Muslim community of our country". ये जो सदस्य थे, उन्होंने इसी सदन में कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि, "This Bill is a panicky reaction of the reversals which the ruling party suffered in certain recent bye-elections". उस समय कोई बाई-इलेक्शन्स हुए थे, उसमें डिफीट हुई थी, अभी तो आपकी बड़ी डिफीट हुई है। He further said, "Surrender to fundamentalism does not pay any dividends to the country in terms of furthering of national interests. With your permission, Sir, I would like to reiterate that opportunist appeasement of fundamentalism has never and shall never be in the interest of the healthy growth of Indian nationalism. During the course of our national liberation movement at a certain point of time some such opportunist alliance with the fundamentalists was made and it did not do any good to our national interest. Instead, it ultimately strengthened the hands of the fundamentalists and that ultimately resulted in the partition of India. Sir, I again charge that the present Congress (I) party is making an opportunity alliance with the fundamentalist bigots who are instigating a section of the people of our country with the slogan 'Shariat is in danger', यानी शरीयत बचाओ, just for the sake of prospective electoral gains against Left and democratic forces of the country. I utter a note of warning. We are already hearing whispers that new Jinnahs are in the making." इसी सदन में जब बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ था और उस समय संख्या बल के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। सभी लोग यह जानते होंगे कि एक



[श्री मुख्तार अब्बास नकवी]

'निकाह' फिल्म आई थी। उस फिल्म का एक गाना है, जिसे मैं आज भी बिल्कुल सार्थक मानता हूँ।

"दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,  
हम वफा करके भी तनहा रह गए,  
शायद उनका आखिरी हो ये सितम,  
हर सितम यह सोचकर हम सह गए,  
खुद को भी हमने मिटा डाला मगर,  
फासले जो दरमियां थे, रह गए।"

हम उस जुल्म को, उस अन्याय को, गैर-इन्सानी कुकृति को खत्म करने के लिए यह कानून ला रहे हैं। हम यह जो कानून, उसका किसी धर्म, किसी मजहब...और इस कुरीति और कुप्रथा का इस्लाम से क्या लेना-देना है? अभी रवि शंकर जी ने बताया है कि यह जो ट्रिपल तलाक है, इसे तमाम इस्लामी देशों ने गैर-कानूनी भी बताया है और इसे गैर-इस्लामी भी कहा गया है। अब जब इसे गैर-इस्लामी और गैर-कानूनी कहा है और यह आज नहीं कहा है, इजिप्ट ने 1936 में सबसे पहले कहा था कि यह जो कानून है, वह गैर-इस्लामी भी है, गैर-कानूनी भी है और अपराध भी है। अब इजिप्ट ने यह 1936 कह दिया और उसके बाद तुर्की ने कहा, उसके बाद बंगलादेश ने कहा और तमाम ऐसे कई देश हैं, जिन्होंने इसको गैर-कानूनी भी कहा और गैर-इस्लामी भी कहा है।

सवाल यह पैदा होता है कि जब वह गैर-इस्लामी भी हो गया, अब इनकी दिक्कत क्या है? वे कहते हैं कि यह तो पर्सनल लॉ से चलेगा, पर्सनल लॉ क्या है साहब? अंग्रेजों ने 1937 में "बांटो और राज करो" की एक सोच के तहत कहा कि एक पर्सनल लॉ बनना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बनना चाहिए। उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बन गया। उसके बाद कांग्रेस के मित्रों ने भी, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसको आगे बढ़ाया। इस देश में हिन्दू पर्सनल लॉ तो नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है...(व्यवधान)... हमारा देश संवैधानिक उसूलों और मान्यताओं से चलता है। ...(व्यवधान)... हमारे देश में कोई किसी को ऊँचा-नीचा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 और 15 है। ये आर्टिकल कहते हैं कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो भारतवासी है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको आप समान सुरक्षा देंगे और समान उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, इसमें क्या हो रहा है? अब यह तो हम कह नहीं सकते, आज देश में मुझे लगता है कि बड़ी राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। तमाम देशों ने अपने देश में Common Civil Code बनाया हुआ है और वे देश आज मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। गोवा में कुछ हद तक Common Civil Code काम कर रहा है। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम criminal law मानेंगे और civil law नहीं मानेंगे और civil law में भी जो लॉ हमें सूट नहीं करते, उनको नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि कभी



न कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि क्या हमारे देश में एक कानून हो सकता है? हमारे देश में हर नागरिक के लिए क्या समान कानून हो सकता है, जैसा कि हमारे संविधान में कहा हुआ है?

सर, जब हमारे देश में सती प्रथा खत्म हो जाती है, हमारे देश में तमाम और जो कानून हैं, वे खत्म किए जाते हैं, जो अन्य कुरीतियाँ हैं, वे खत्म की जाती हैं, तो इतना शोर नहीं मचता है, तब उस पर किसी ने सवाल नहीं किए ! अब हमें 33 साल.... और पिछली बार तो लोक सभा में कांग्रेस पार्टी ने इस ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन किया था। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अहमद हसन (पश्चिम बंगाल):** सती प्रथा ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

**श्री मुख्तार अब्बास नकवी:** लोक सभा से राज्य सभा तक आते-आते कांग्रेस पार्टी के पैर क्यों लड़खड़ा गए पता नहीं? अभी भी आत्म-चिंतन करने का वक़्त है कि आप जो हैं, इस सामाजिक कुरीति, कुप्रथा को खत्म करने वाले कानून की मदद कीजिए। आज आपका जो व्यवहार है, जो कुछ आप कहने वाले हैं, जो कुछ आप करने वाले हैं, उसको देश देख रहा है। आपका शुरू में कहना था कि तीन-चार चीज़ों पर एतराज़ है। साहब, आपने इसको non-bailable कर दिया है, आपने इसमें compounding की व्यवस्था नहीं की है, आपने एफआईआर के बारे में कहा था, आपके जो सुझाव थे, उनको सरकार ने माना और उसके बाद यह bailable हो गया, अब इसमें compounding की व्यवस्था भी है, जो ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति है, वही उसमें एफआईआर कर सकता है। आपने कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा, चूंकि उसका दुरुपयोग हो जाएगा, पति जेल चला जाएगा, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं उसको पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। श्रीमती रेणुका चौधरी जी ने इसी सदन में, उस वक़्त आप इसको निष्प्रभावी करने के लिए जो बिल लाए थे, उन्होंने इस सदन में जो बोला है, आप उसको जरूर निकालकर पढ़ लीजिए। वे आपकी पार्टी की नेता हैं। पिछली बार जब आप सेलेक्ट कमेटी बना रहे थे, तो उनको चेयरमैन भी बना रहे थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं। मैं तो बार-बार एक ही बात कहता हूँ कि "लम्हों की खता, सदियों की सज़ा बन जाती है।" आपने जो उन लम्हों की खता की थी, उसकी सज़ा आपने अभी तक भुगती है। आपको आज मौका है कि उस खता को आप करेक्ट करिए। उस समय जो गलती की है, उसको आप करेक्ट करिए। अगर आपने उस गलती को करेक्ट नहीं किया, तो फिर आप भुगतिये, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। यह कानून पास होना चाहिए और यह पास होगा। इसके पास होने के साथ ही साथ, हमें लगता है कि इसके कई ऐसे पहलू हैं।

महोदय, वर्ष 1985 में शाह बानो का जजमेंट आया था। उस समय कई ऐसे माननीय सदस्य थे, जो एक आंदोलन चला रहे थे। मैं यहां उनके नाम नहीं लूंगा। उस समय एक नहीं, बल्कि दो आंदोलन हुए थे। एक तो आंदोलन मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक

[श्री मुख्तार अब्बास नकवी]

अधिकार दिलाने के पक्ष में चल रहा था और दूसरा आंदोलन दकियानूसी और कट्टरपंथी लोगों का चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का खात्मा कर दो। उस समय यहां पर हमारी पार्टी की संख्या केवल आठ थी और आप उस समय 159 और आपके सहयोगियों को मिलाकर आपके सदस्यों की कुल संख्या लगभग 200 थी। लोक सभा में आप लोग उस समय 400 सदस्यों से ज्यादा थे। आपका उस समय जो संख्या बल था, वह सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को मजबूत करने के लिए होना चाहिए था न कि उसे कमजोर करने के लिए, लेकिन आपने उस समय उल्टा काम किया। आज चाहे तमाम इस्लामिक देश हों या नॉन इस्लामिक देश हों, वे सभी इस कुरीति और इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में रहे हैं और पक्ष में हैं।

उपसभापति महोदय, मैंने एक बात का जिक्र किया कि जो तमाम ऐसी बुराइयां, कुरीतियां पर या कुरीतियां और कानून हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए हमने बार-बार कदम उठाए हैं। अभी मैं तीन छोटी-छोटी चीजें बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। कहा जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं कहां-कहां हुईं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 का एक तस्दीकनामा यानी कि तलाकनामा है। इसमें लिखा है कि "तस्दीक की जाती है कि मोहम्मद इब्राहिम उर्फ पप्पू पुत्र मोहम्मद रमजान साहब, फ़िबला साकिन कठोली रोड, इस्माइली दरबार, भोपाल में अपनी पत्नी मुमताज श्रीमती फरहान, सुपुत्री मोहम्मद साबिर साहिब, साकिन लक्ष्मी नगर, तालाब, भोपाल में 16 मई, 2008 को 14 महीने पहले, फोन पर तलाक दे दिया। मोहम्मद उर्फ पप्पू ने मुझे एक रात फोन पर तलाक दिया। इसलिए फरहान तलाकशुदा है और वह अपने अक़द-ए-सानी कर लेने की शरायत पर मजाल है।" अगर कोई माननीय सदस्य कहेंगे, तो मेरे पास वह कागज भी है, मैं उन्हें दिखा दूंगा, यहां सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा। यह इस प्रकार से तलाक दे दिया गया, तो क्या यह अपराध नहीं है?

महोदय, यह तो कत्ल से बड़ा अपराध है और इस अपराध को जो लोग कर रहे हैं, उनका संरक्षण करने की बात आप कर रहे हैं और उन्हें आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आज हम सरकार में हैं और तब आप भी सरकार में थे। मैं केवल एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। -

"तू दरिया में तूफान क्या देखता है,  
खुदा है निगेहबान क्या देखता है,  
तू हाकिम बना है, तो इंसाफ भी कर,  
तू हिन्दू मुसलमान क्या देखता है।"

हमारी जो सरकार है, वह समावेशी सोच के साथ काम कर रही है, समावेशी सुधार के साथ काम कर रही है और मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसी बात को कहकर मैं आपसे अपील करूंगा कि इसका समर्थन करिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: सुश्री दोला सेन।

सुश्री दोला सेन (पश्चिम बंगाल): सर, आपने 12 मिनट दिए हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी स्पीच खत्म करने की इजाजत दी जाए। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी स्पीच जल्दी से जल्दी खत्म करूँ।

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन ने कहा था कि इस बिल पर हम कंटीन्यूअसली चर्चा करेंगे। इसलिए जो माननीय सदस्य लंच के लिए जाना चाहते हैं, वे लंच करके लौट आएँ। चूंकि दो और ...(व्यवधान)...

सुश्री दोला सेन: सर, मैं जल्दी स्पीच खत्म कर दूंगी। कुछ ही मिनट की बात है। बीच में स्पीच खत्म करने और बाद में शुरू करने से मेरे बोलने की स्पिरिट खत्म हो जाएगी, इसलिए अलाउ कर दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सुश्री दोला सेन जी, आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति महोदय, जो घोषणा आपने अभी की है, इस पर कोई चर्चा न BAC में हुई है और न हम लोगों से हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन ने भी कहा था। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: बिल्कुल नहीं कहा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप चाहें, तो रिकॉर्ड देख लीजिए। ...(व्यवधान) ... ऑलेरडी माननीय चेयरमैन ने कहा है, लेकिन उस वक्त आप नहीं बोले ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभापति जी, इस पर लोग बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन ने अपनी बात में यह कहा है...(व्यवधान) ... आप रिकॉर्ड देखिए। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति जी, इस पर आम सहमति होती है कि आज लंच कैंसिल होगा ...(व्यवधान) ... ऐसा कई बिलों पर बहस के समय हमने किया है।

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन सर ने जब कहा, तो हम मानकर चलते हैं कि इस पर आम सहमति बनी है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: यह कैसे हो गया? ...(व्यवधान) ... हम इसको नहीं मानते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सुश्री दोला सेन। ...(व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): यह ...(व्यवधान) ... इसका हिस्सा नहीं है। ...(व्यवधान) ... आप कल से सुबह नौ बजे शुरू कीजिए, अगर सारे दो सौ साल वाले बिल पास करने

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

हैं। ...**(व्यवधान)**... आज तो सुबह से ही शुरू हुआ है, इसमें क्वेश्चन ऑवर नहीं है, दूसरा ऑवर नहीं है, 2 बजे से है, अब लंच ऑवर भी खत्म करो, फिर डिनर भी यही करो। क्या इसकी कोई सीमा है? एक तो आप स्टैंडिंग कमेटी ...**(व्यवधान)**... सेलेक्ट कमेटी को भेजे बगैर यह बिल पास कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... और फिर रूल्स भी अपने ...**(व्यवधान)**... चला रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : یہ ...**(مداخلت)**... اس کا حصہ نہیں ہے ...**(مداخلت)**... آپ کل سے صبح نو بجے شروع کئے، اگر سارے دو سو سال والے بل پاس کرنے میں ...**(مداخلت)**... آج تو صبح سے ہی شروع ہوا ہے، اس میں کونشنجیں آوریں نہیں ہیں، دوسرا آوریں نہیں ہیں، بارہ بجے سے ہے، اب لنچ آوریں بھی ختم کرو، پھر ڈنر بھی ہے۔ کئی اس کی کوئی سرچھا ہے؟ ایک تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی ...**(مداخلت)**... سلکٹ کمیٹی کو بھیجے بغیر ہی بل پاس کر رہے ہیں ...**(مداخلت)**... اور پھر رولس بھی اپنے ...**(مداخلت)**... چلا رہے ہیں ...**(مداخلت)**...

श्री आनन्द शर्मा: हम इसको नहीं मानते हैं।

सुश्री दोला सेन: सर, eleven minutes के अंदर ...**(व्यवधान)**... 5 मिनट हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this is arbitrary. ...**(Interruptions)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, she has got just three minutes to go. ...**(Interruptions)**...

सुश्री दोला सेन: सर, इलेवन minutes के अंदर ...**(व्यवधान)**... पाँच मिनट बोलेंगे ...**(व्यवधान)**... लंच के बाद और पाँच मिनट ...**(व्यवधान)**... My speech would be hampered. ...**(Interruptions)**...

श्री उपसभापति: आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी ...**(व्यवधान)**... Just put your thoughts. Please speak. ...**(Interruptions)**... Dola Sen ji, please speak. ...**(Interruptions)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, don't break her chain. ...**(Interruptions)**...

सुश्री दोला सेन: सर, spirit खत्म हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, at one o'clock, the House would be adjourned for lunch. ...**(Interruptions)**...

श्री उपसभापति: आप बोलिए ...**(व्यवधान)**... हम लोग समझ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन ने कहा था, आप सभी ने सुना। ...**(व्यवधान)**... It is on record. ...**(Interruptions)**... Please speak. ...**(Interruptions)**...

सुश्री दोला सेन: सर, 5 मिनट में 41 मिनट की बात कैसे होगी? ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: लंच ब्रेक नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, हम कंटीन्यू कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

सुश्री दोला सेन: हमें पूरे 11 मिनट चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन साहब ने ...(व्यवधान).... already कहा था ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we are not party to this decision. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, sense of the House. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, take the sense of the House. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सर, रूल 266 ...(व्यवधान).... वैसे चेयरमैन साहब की पावर है कि वे किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री डेरेक ओब्राईन: वह तो है ही। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Leader of the Opposition must be heard. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have heard him. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव: अगर बिल पर, महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान).... सुन लीजिए। ...(व्यवधान).... महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान).... अगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय के सदस्यों का लंच है, तो उन्हें कर लेने दीजिए, उसके बाद चर्चा कर लीजिए। ...(व्यवधान).... हमें कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, take the sense of the House. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, take the sense of the House. ...(Interruptions).... We are not bound. ...(Interruptions)...

सुश्री दोला सेन: कल भी लंच ब्रेक था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, फिर कंटीन्यू करेंगे ...(व्यवधान).... तीन मिनट हैं। ...(व्यवधान).... Derekji, let her speak. We will give her time. ...(Interruptions)...

सुश्री दोला सेन: सर, तीन मिनट बोलेंगे ...(व्यवधान).... आठ मिनट बाद ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please allow me to speak. ...(Interruptions)...



MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I will not allow. Shri Javed Ali Khan; three minutes ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, as it is, you don't give us the slot. You changed the seating. And now you are asking the lady Member to speak. At one o'clock, we would break for lunch. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She would continue. ...*(Interruptions)*... She would continue later. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please tell us what you want. The LoP has also suggested. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She would speak after this, Derekji. ...*(Interruptions)*...

श्री डेरेक ओब्राईन: दो बजे बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री आनन्द शर्मा: हम दो बजे बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: सुश्री दोला सेन, आप शुरू करें, अभी तीन मिनट का समय है। ...*(व्यवधान)*... फिर कंटीन्यू करें। ...*(व्यवधान)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is the big argument? What is this? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is one o'clock. ...*(Interruptions)*...

सुश्री दोला सेन: सर, मेरी speech की spirit खत्म हो जायेगी। ...*(व्यवधान)*... मैं पूरे 11 मिनट बोलना चाहती हूँ। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: श्री जावेद अली खान साहब, क्या आप बोलना चाहेंगे? ...*(व्यवधान)*... अभी समय है। ...*(व्यवधान)*...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): समय नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

† جناب جاوید علی خان : وقت نہی ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: अभी समय है। ...*(व्यवधान)*... ऑलरेडी दो मिनट का समय है। ...*(व्यवधान)*...

सुश्री दोला सेन: सर, टाइम हो गया है। ...*(व्यवधान)*... एक मिनट की बात है। ...*(व्यवधान)*... सर, फिर से चालू कीजिए। ...*(व्यवधान)*... यह क्या बात है? ...*(व्यवधान)*... सिर्फ 11 मिनट की बात है ...*(व्यवधान)*... हमें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: वह है एक घंटे का। ...*(व्यवधान)*... अभी दो मिनट का समय है ...*(व्यवधान)*...

श्री जावेद अली खान: हाउस ऐसे मत चलाइए सर ...(व्यवधान)...

† جناب جاوید علی خان : ہاؤس ایسے مت چلائے سر --- (مداخلت)---

सुश्री दोला सेन: अभी दो मिनट ...(व्यवधान).... कैसे होगा सर? ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... अगर हाउस का यह सेंस है, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा था, अगर हम उसमें लंच लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लंच पर जाएंगे, लेकिन देर तक बैठेंगे, क्योंकि ये दो ऑडिनेंस हैं, दोनों कानून में रिप्लेस्ड हैं और दोनों लगे हुए हैं ...(व्यवधान).... इसलिए हमें दोनों को पूरा करना है ...(व्यवधान).... फिर उसके बाद हम लोग ...(व्यवधान)....

श्री जावेद अली खान: उपसभापति जी, भूखे भजन न होय गोपाला ...(व्यवधान).... आप लंच के लिए स्थगित कीजिए। ...(व्यवधान)....

† جناب جاوید علی خان : آپ سیہاٹی جی، بھوکے بھجن نہ بوئے گویا --- (مداخلت)--- آپ لنچ کے لئے استہگت کیجئے --- (مداخلت)---

श्री उपसभापति: हाँ, हाँ लंच के लिए स्थगित कर रहे हैं, अभी दो मिनट का समय है ...(व्यवधान).... जावेद जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान).... आप बोलिए, अभी दो मिनट का समय है। ...(व्यवधान)....

सुश्री दोला सेन: सर, दो मिनट के लिए कोई नहीं बोलेगा। ...(व्यवधान).... आप इस spirit को तो समझिए। ...(व्यवधान).... यह ठीक नहीं है ...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not yet one o'clock. ...(Interruptions)...

सुश्री दोला सेन: यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है ...(व्यवधान).... ब्रेक करके नहीं बोलना चाहिए। ...(व्यवधान).... हो गया है सर ...(व्यवधान).... बेवजह ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: सुश्री दोला सेन जी, प्लीज़. ...(व्यवधान).... Dola Senji, please start. ...(Interruptions).... I would allow you. ...(Interruptions)....

MS. DOLA SEN: Sir, the time is up. Please allow me to deliver my speech for eleven minutes at one go. ...(Interruptions).... नहीं तो spirit खत्म हो जाएगी। ...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would give you time. ...(Interruptions)....

†Transliteration in Urdu Script.

MS. DOLA SEN: No, Sir. ...*(Interruptions)*... It is my maiden speech on a Bill after four-and-a-half years. Allow me to speak for eleven minutes uninterrupted and continuously, Sir. Please. ...*(Interruptions)*... नहीं तो spirit खत्म हो जाएगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am giving you one minute more. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: I plead to the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: एक बज गया है। The House stands adjourned till two of the clock. ...*(Interruptions)*...

*The House then adjourned for lunch at one of the clock.*

*The House reassembled after lunch at two of the clock,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ms. Dola Sen.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, the Treasury Benches are empty.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ms. Dola Sen, you start.

MS. DOLA SEN: Sir, you have rightly decided to allow discussions on two Motions together. The first Motion moved by Elamaramji is for sending the Bill to a Select Committee. The second Motion moved by the Hon'ble Minister is for the consideration and passing of the Bill. I will first speak about why this Bill needs to be sent for proper scrutiny to a Select Committee of Parliament. Then, I will speak on the second Motion. Let me give you some numbers, and any Hon'ble Member may file a Privilege Motion against me if these numbers are wrong. In earlier Lok Sabhas, 60 to 70 per cent of Bills were sent to Standing Committees or Select Committees for scrutiny. In the last Lok Sabha, only 26 per cent of Bills were sent to Committees for scrutiny. In the current Session, more bulldozing is happening. Out of the 16 Bills, passed by both Houses, only one has been sent to a Committee for scrutiny. This is Bill No. 17. ...*(Interruptions)*...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): नहीं, सर, मैं आपको बताता हूँ। ...*(ब्यवधान)*... What she is saying, is wrong.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is not yielding. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Please allow me, Sir, to speak

श्री उपसभापति: जब आपका बोलने का मौका आएगा, आप तक कहें। ...*(व्यवधान)*... दोला जी, आप बोलिए, प्लीज़। ...*(व्यवधान)*... Let Ms. Dola Senji speak.

MS. DOLA SEN: Just because an Ordinance has been brought in multiple times, it does not mean that this has been scrutinised; just because the Government has got a majority in the Lok Sabha, it does not mean that it can bypass the Constitution and bypass Parliamentary democracy. Since 1993, Parliamentary Committees have been doing a job. We have not yet become a Presidential form of Government nor have we yet come to a dictatorship. Till that happens, let us follow the role of Parliamentary democracy.

This Government is desperately trying to link the passage of this Bill to women empowerment. So, let us talk about women empowerment. The present Lok Sabha has 78 women MPs; that is, only 14 per cent of the Members are women. The Government is saying that this is historic. No, Sir. This is shameful. I would show you about women empowerment. I represent the All India Trinamool Congress, a Party where 41 per cent, yes, I repeat, 41 per cent of MPs in Lok Sabha are women. In the last Lok Sabha, 35 per cent of Trinamool Congress MPs were women. I represent a party where 50 per cent of the seats at the panchayat level are reserved for women. I represent a party which now has the only elected women Chief Minister in India. I represent a party, which, through its Government, has given benefit to 60 lakh girls with its Kanyashree Scheme. The United Nations awarded this initiative for women empowerment. ₹7,000 crores have been spent on this Scheme; ₹7,000 crores in just one State! Under 'Beti Bachao', with due respect, ₹700 crores have been spent in the entire country. This is just 10 per cent of Kanyashree's budget of Bangla. We do not pay lip service to women empowerment like 'Beti bachao' does. Fifty-six per cent of their funds are spent only on publicity. सर, हमें women empowerment पर भाषण नहीं सुनना है।

What more can BJP teach me about women's empowerment? What more can BJP teach me about supporting women? \* whose chief, in 2013, said that a husband and a wife are bound by social contract and if the woman fails to deliver her duties, she can be abandoned. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rakeshji. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Allow me, Sir. ...*(Interruptions)*... to speak

---

\*Expunged as ordered by the Chair.



SHRI RAKESH SINHA (Nominated): It should be expunged. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will be examined. ...*(Interruptions)*... राकेश जी, बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

MS. DOLA SEN: Allow me, Sir. ...*(Interruptions)*... to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The record will be examined. Please continue. ...*(Interruptions)*... राकेश जी, बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... दोला सेन जी, आप बोलिए। आपकी बात के अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...*(व्यवधान)*... बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... It will be examined. ...*(Interruptions)*... It will be examined. I have told you. ...*(Interruptions)*... Rakeshji, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let Ms. Dola Sen speak. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Sir, allow me. ...*(Interruptions)*... \* whose Chief, in 2013, said that...*(Interruptions)*...

SHRI RAKESH SINHA: Again, Sir, I object. ...*(Interruptions)*... I will not allow...*(Interruptions)*... She cannot...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Who is he to allow? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rakeshji, please...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: ...that a husband and a wife are bound by social contract, and if the woman fails to deliver her duties, she can be abandoned. And, that is why, the figure of abandoned women or deserted women is 23 lakh. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be examined. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: That is why, the figure of abandoned or deserted women is 23 lakh in our country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Sir, allow me. My time is going on. What is this? ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: This should be expunged. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: माननीय रवि शंकर जी, यह examine होगा। ...*(व्यवधान)*... It will be examined. ...*(Interruptions)*...

---

\*Expunged as ordered by the Chair.



MS. DOLA SEN: Sir, allow me to complete my speech. ...*(Interruptions)*...

**श्री उपसभापति:** दोला सेन जी, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...  
दोला सेन जी, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

MS. DOLA SEN: Please, allow me, Sir. ...*(Interruptions)*... And, I am in an organisation that gave me the chance to be the first woman State and all -India President of the Trade Union Wing of our Party.

If this Government is really serious about women empowerment, it should bring the Women's Reservation Bill. The Government has extended the Parliament session. So, extend it by one more day and bring the Women's Reservation Bill. Please introduce the Bill, which will benefit 60 crores of women. Otherwise, sshhhhh!

2017 में Triple Talaq discussion के दौरान Parliament में बोला गया था कि "जहां मर्दों का सवाल आता है, वहां आप आसानी से कानून बदल देते हैं लेकिन जहां औरतों की सुरक्षा की बात आती है, etc., etc." - यह किसने कहा था, - ऐसा Hon'ble B.J.P. सांसद \* ने कहा था। चलिए, हम वहां नहीं जाते, नहीं तो Treasury Benches embarrass हो जाएंगी। Thank you, Sir.

So, I will speak on as to why this Bill should go to a Select Committee. Now, for some more specifics of the Bill, I want to say something. Firstly, remove the draconian criminality Clause. As per the Bill, the husband can be jailed for three years for pronouncing triple talaq. Will the wife not be allowed to remarry for three years? What will she do, once the husband is out of jail? Secondly, the husband is expected to pay for the maintenance of his wife and children. How will he pay the maintenance if he is in jail? Where will he get the money from? Thirdly, for bailable offences, bail is given as a matter of right, but, in this case, subjecting the victim to additional testimony is just a formality and an additional burden on the woman.

If I talk about the sayings of Prophet, Sir, it is written in the Haddish that "जितनी चीज़ों की इजाज़त है, उसमें सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है", इसलिए हमें please lecture मत दीजिए।...*(व्यवधान)*...

We all are for women empowerment. We all are for women's rights. Sir, there are two things. First is to remove the criminality Clause and secondly do not mock Parliament by passing this Bill today. Send this Bill to a Select Committee. You have to do these two things, and we will be with you.

In conclusion, I would like to urge the Members to vote in favour of the Motion to send this Bill to a Committee for scrutiny. If you actually stand for women

---

\*Expunged as ordered by the Chair.

[Ms. Dola Sen]

empowerment, send this Bill to a Committee. If you stand for Parliament, send this Bill to a Select Committee. Thank you.

**श्री जावेद अली खान :** माननीय उपसभापति जी, मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अपनी बात की शुरुआत में, मैं माननीय मंत्री जी ने इसकी प्रस्तावना में जो भाषण दिया, उसे उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के लिए है, लैंगिक समानता के लिए है और नारी-न्याय तथा नारी-सम्मान इस बिल में निहित है। इस बिल का दायरा सीमित है और माननीय मंत्री जी ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात की, लेकिन मैं इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। इस देश में कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं, जो पतियों द्वारा abandon कर दी गई, उनका परित्याग कर दिया गया। ...**(व्यवधान)**... कुछ नार्मी-गिरामी लोग भी उसमें शामिल हैं।

†**جناب جاوید علی خان :** مائے اپ سبھا پی جی، می اس بل کی مخالفت می بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اپری بات کی شروعات می، می مائے منتری جی نے اس کی پرستاون می جو بھاشن دی، اسے اذہت کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ می بل معلا سشکتی کرن کے لئے، ہے، لئیک سمانتا کے لئے ہے اور ناری-تظفے و ناری-سمان اس بل می نہی ہے۔ اس بل کا دائرہ سمیت ہے اور مائے منتری جی سے صرف مسلم معلاؤں کے بارے می بات کی، لیکن می اس کے دائرے می تھوڑا بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس دیش می کچھ احری معلائی بھی می، جو پتیوں کے ذریعے abandon کر دی گئی، ان کا پریکٹک کر دی گئی۔۔۔**(مداخلت)**۔۔۔ کچھ نامی گرامی لوگ بھی اس می شامل می۔

**श्री उपसभापति:** कृपया बैठकर बात न करें। ...**(व्यवधान)**...

**श्री जावेद अली खान:** मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे पति, जिन्होंने अपनी महिलाओं को त्याग दिया और वे महिलाएँ अभी भी सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत उनसे हर्जा-खर्चा पाने की हकदार हैं, क्योंकि वे wife का status continue करती हैं, ऐसे पतियों को दंड देने के लिए और उनसे सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत हर्जा-खर्चा दिलवाने के लिए, क्या सरकार कोई कानून लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। ...**(व्यवधान)**... महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इस बारे में आज यहां मुख्तार साहब बोले हैं लेकिन इससे पहले यहां बहस नहीं हुई। लोक सभा में जब पिछली बार बहस हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथी उस बहस में चौके-छक्के लगा रहे थे, कुछ दिनों के बाद पता चला कि \* ...**(व्यवधान)**... सरकार ने चार मंत्रियों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिनमें से तीन मंत्री आज भी मंत्रिमंडल में हैं, एक मंत्री बाहर हैं। 25 अक्टूबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना या 24 अक्टूबर को ...**(व्यवधान)**...

†Transliteration in Urdu Script.

\*Expunged as ordered by the Chair.

† جناب جاوید علی خان : می جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے پتی، جنہوں نے اپری مہلاؤں کو ٹیگ دی اور وہ مہلاؤں ابھی بھی سری۔آر۔بی۔سری۔ کی دھارا 125 کے تحت ان سے حرجہ-خرچہ پانے کی حقدار ہے، کہیں کہ وہ وائف کا اسٹٹس کنٹری کرتی ہی، ایسے پتوں کو دنڈ دینے کے لئے اور ان سے سری۔آر۔بی۔سری۔ کی دھارا 125 کے تحت حرجہ-خرچہ دلوانے کے لئے، کی سرکار کوئی قانون لانے پر وچار کر رہی ہے، کہیں کہ وہ بہت بڑا سوال ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ مہلاؤں کا شکریہ کرن ہو، اس بارے می آج عیاں مختار صاحب بولے ہی لیکن اس ے پہلے عیاں بحث نہی ہوئی۔ لوک سبھا می جب پچھلی بار بحث ہوئی تھی تو بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے جو ہمارے ساتھی اس بحث می چوکے چھکے لگا رہے تھے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ \*۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سرکار نے چار منتریں کا ایک گروپ آف منسٹرس بنایا، جن می سے نئی منتری آج بھی منتری منٹل می ہی، ایک منتری باہر ہی۔ 25 اکتوبر کو گروپ آف منسٹرس بنا لی 24 اکتوبر کو۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I have a point of order.

श्री जावेद अली खान: अगर point of order है, तो उठाइए।

† جناب جاوید علی خان : اگر پوائنٹ آف آرڈر ہے، تو اٹھاڑے۔

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, Rule 238, sub-rule (2) ... (व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान: सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ... (व्यवधान)...

† جناب جاوید علی خان : سر، می نے کسی کا نام نہی لی۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं आपके नाम की बात पर नहीं बोल रहा हूँ और केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता है। सर, मेरा यह कहना है कि अगर किसी भी सांसद पर या किसी भी मंत्री पर, दोनों वक्ताओं ने बोला है, आरोप सिद्ध हो गया है, तो वे बोल सकते हैं। मेरा यह नहीं कहना है। अगर सदन में मर्यादाएं तार-तार करनी शुरू होंगी, तो यह हद कही तक जाएगी। वैसे भी मैं आपको यह कह रहा हूँ, जो बोला गया है, Rule 238, sub-rule (2), "make a personal charge against a Member..." मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं चेयर को कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बात आती है, तो चेयर को उसको expunge करने की पावर है।

श्री उपसभापति: मैंने already कहा है कि सारी चीजें examine की जाएंगी और as per Rules काम होगा। कृपया आप बोलिए।

श्री जावेद अली खान: सर, मेरा टाइम जरा reset कर दीजिएगा। ... (व्यवधान)... उस वक्त सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसमें चार मंत्री थे, जिनमें से तीन मंत्री आज भी मंत्रिमंडल में हैं। 24 अक्टूबर, 2018 को वह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। महिला सशक्तिकरण के लिए बना था। महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनका sexual harassment हुआ, उसकी जांच करने के लिए बना था। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे जवाब दें, तो यह बताएं कि आज उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेटस क्या है और तीन महीने के अंदर जो उसको रिपोर्ट देनी थी, जो दिसम्बर में तीन महीने पूरे होते थे, क्या वह रिपोर्ट आई है? अगर रिपोर्ट आई है, तो कहाँ है?

सर, आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है, क्योंकि जब मैं राजनीति में आया था, तो मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने देश-विदेश की जो जनतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं, उनका अध्ययन करके हमारे देश के संविधान को रचा। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि कानून बनाने में भी हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर जिस तरीके से कानून चलते हैं या बनते हैं, उनका अध्ययन करके कानून बनाए गए, लेकिन हम आज मिसाल दे रहे हैं सीरिया की। क्या सीरिया का कानून कोई कानून है? आज हम मिसाल दे रहे हैं अफगानिस्तान की। क्या अफगानिस्तान का कानून कोई कानून है? हम जॉर्डन की बादशाहत की मिसाल दे रहे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि मैं शत्रुमर्मा की तरह रेत में सिर छुपा लूँ। माननीय मंत्री जी, कम से कम ऐसी मिसालें मत दिया कीजिए। ... (व्यवधान)...

†جناب جاوید علی خان : سر، میں اٹائم ذرا ری-سٹ کر دیتے گا۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ اس وقت

سرکار نے ایک گروپ آف منسٹرس بنائے، جس میں چار منتری تھے، جن میں سے تین

منتری آج بھی منتری منڈل میں ہیں۔ 24 اکتوبر، 2018 کو وہ گروپ آف منسٹرس بنا تھا۔

میں نے شکایت کرنے کے لئے بنا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو ان

کا sexual harassment ہوا، اس کی جانچ کرنے کے لئے بنا تھا۔ سرکار کی مجموعی

ذمہ داری ہے، میں مانتے منتری جی سے چاہوں گا کہ جب وہ جواب دیں، تو یہ بتائیں کہ

آج اس گروپ آف منسٹرس کا اسٹٹس کیا ہے اور تین مہینے کے اندر جو اس کو رپورٹ

دینی تھی، جو دسمبر میں تین مہینے پورے ہوتے تھے، کیا وہ رپورٹ آئی ہے؟ اگر

رپورٹ آئی ہے، تو کہاں ہے؟



سر، آج مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ شرم اس لئے آ رہی ہے، کبھی کہ جب میں سیاست میں آئی تھا، تو میں نے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا کہ ہمارے سنودھان کو بنانے والوں نے دیش و دیش کی جو جن-تانتربک ویستھاہی، لوک تانتربک ویستھاہی، ان کا ادھین کر کے ہمارے دیش کے سنودھان کو رچا۔ میں قانون کا ودھڑتھی نہی ہوں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ قانون بنانے میں بھی ہم لوک تانتربک دیشوں کے اندر جس طریقے سے قانون چلتے ہیں طابنتے ہیں، ان کا ادھین کر کے قانون بنائے گئے، لیکن ہم آج مثال دے رہے ہیں سرسیکی۔ کیسیکی کا قانون کوئی قانون ہے؟ آج ہم مثال دے رہے ہیں افغانستان کی۔ کیسی افغانستان کا قانون کوئی قانون ہے؟ ہم جارتھ کی بادشاہت کی مثال دے رہے ہیں۔ میں آجی چاہ رہا ہوں کہ کہ شتر مرغ کی طرح رخت میں سر چھپا لو۔

مانئیں منتری جی، کم سے کم ایسی مثالیں مت دیجئے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

**श्री उपसभापति:** कृपया सीट पर बैठ कर न बोलें, बहस चल रही है। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उन्हें बोलने दें। आप अपनी सीट पर जाएं, तो बेहतर होगा। कृपया आप बोलें।

**श्री जावेद अली खान:** सर, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 345 तलाक हो गए। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 2017 से 574 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 345 और ऑर्जिनेस आने के बाद 101 तलाक हो गए। सर, इसी सत्र में 11 जुलाई को मैंने माननीय मंत्री जी से, यही मंत्री जी है, कोई बदले नहीं हैं, फेरबदल होगा भी नहीं, मैंने यह सवाल पूछा था, विवाह विच्छेद की स्थिति पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या गत तीन वर्षों में विभिन्न धार्मिक समुदायों में विवाह विच्छेद संबंधी ऐसे मामलों की धर्मवार संख्या और उनकी प्रतिशतता कितनी है? माननीय मंत्री का जवाब है - सरकार देश में विवाह विच्छेद के मामलों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है। 11 जुलाई, 2019 का जवाब है। दूसरे सवाल के जवाब में कहा - प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिशत कुछ पता नहीं है। आज मंत्री जी आंकड़ा दे रहे हैं। मेरे सवाल को महीना पूरा नहीं हुआ है। यह दोहरी बात क्यों हो रही है? यह एक सरकार से, एक स्रोत से, एक मंत्रालय से ये दो ज़बानें क्यों आ रही हैं?... (व्यवधान) ...

† جناب جاوید علی خان : سر، کہا گئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 345 طلاق ہو

گئے۔ 2017ء میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، 2017ء سے 574 اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 345 اور آرڈیننس آنے کے بعد 101 طلاق ہو گئے۔ سر، اسی ستر میں گلوہ جولاہی کو میں نے مائے منتری جی سے، یہاں منتری جی ہی، کوئی بدلے نہی، پھی بدل ہوگا بھی نہی، میں نے یہ سوال پوچھا تھا، وواہ وجہ کی استہی پتہ لگانے کے لئے سرکار نے کی قدم اٹھائے ہی؟ کی پچھلے تین سالوں میں مختلف مذاہب میں وواہ وجہ سمبندھی ایسے معاملوں کی دھر موار تعداد اور انکی فیصد کتری ہے؟

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री जावेद अली खान]

† माँटे मन्त्री जी का जवाब है - सरकार दिश मी ववाह वज्हेद के मामलों की تعداد के सम्बन्ध मी कोठी अंकुरे नही रकही है. ग़ल्ले ज़ुलान्, 2019 का जवाब है. दूसरे सवाल के जवाब मी कहा - प्रश्न ही नही अठ्ठा. फ़हद क़ेह पते नही है. अज मन्त्री जी अंकुरा दे रे है. मी सवाल को मन्त्रे पुरा नही ब़ा है. ते दुबरी बान्नी क़ी हू रे है? ते अक़ सरकार से, अक़ ड़राने से, अक़ मन्त्रालय से ते दुबरी क़ी हू रे है? ... (मदख़लत) ...

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर न बोलें। ... (व्यवधान) ...

श्री जावेद अली खान: मुझे पता है कि जब कोई दो जुबानों वाला जीव होता है, तो वह कितना मासूम होता है। यह भी हम सब जानते हैं।

माननीय उपसभापति जी, यह कानून का भय कायम करने के लिए किया जाएगा। जब से इस बिल पर चर्चा चली, तब मैंने थोड़ा सा कानून पढ़ना शुरू किया, वैसे तो मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और राजनीति का कार्यकर्ता हूँ। Thorsten Sellin ने एक किताब लिखी, स्टडी की, मैं समझता हूँ कि जो लोग न्याय के क्षेत्र में, न्याय शास्त्र के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, उनको पता होगा कि Thorsten Sellin की कानून के क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। उन्होंने लिखा, उनकी स्टडी का निष्कर्ष यह है कि दंड और अपराध के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जिन देशों में capital punishment है, वहाँ फिर भी हत्याएं हो रही हैं और जिन देशों में capital punishment नहीं है, वहाँ हत्याओं का ग्राफ गिर रहा है। फिर मैंने एक और समाजशास्त्री को, कानूनविद् को पढ़ा। उनकी भी बहुत मान्यता है। हम कौन-से काम को, कौन-से कृत्य को अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं? John Stuart Mill एक ब्रिटिश दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई जिससे public disorder होने के changes हों या public order खराब होता हो, उसी को हम अपराध की संख्या में रख सकते हैं, अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। साहब, तलाक देने से कौन-सा public disorder हो रहा है? कई बार ऐसी शदियाँ होती हैं, मुख्तार भाई चले गए, वरना मैं उनके सामने उनका हवाला देता, कई बार ऐसी शादियाँ होती हैं, हम आए दिन देखते हैं, जिनसे public disorder होता है, यानी प्रेम विवाह होते हैं। Inter-religion marriages होती हैं, inter-caste marriages होती हैं, गाँवों में, कस्बों में दंगे होने की नौबत आ जाती है। मंत्री अगर इसको अपराध की श्रेणी में रख रहे हैं, तो क्या प्रेम विवाह को, जिससे सीधे-सीधे disorder होने की संभावना

کई جگہوں پر उत्पन्न हो जाती है, उसे भी अपराध की श्रेणी में रखकर John Stuart Mill साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे?...**(व्यवधान)**... Montesquieu साहब, जो फ्रांसिसी कानूनविद् हैं, मैं पढ़कर आया हूँ, मुझे याद नहीं है। ...**(व्यवधान)**... भूपेन्द्र जी पहले से मुस्कुरा ही रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहा कि without absolute necessity, जब तक परम आवश्यकता न हो, तब तक अगर किसी कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, तो वह उत्पीड़न होगा। उन्होंने इसके लिए tyranny शब्द का इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी का pronunciation मुझे ठीक से नहीं पता है। मैंने जब डिक्शनरी में देखा, तो इसके मायने निरंकुशता, उत्पीड़न थे। साहब, आप अब बताइए कि क्या तलाक disorder create करने वाला इतना important कृत्य है? जो इसका कानूनी पक्ष था, वह हमारी बहन, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की वक्ता, डा. अमी यज्ञिक जी ने बता दिया और जो महिलाओं के सशक्तिकरण में दूसरे लोग कर रहे हैं -- एक बार मैं मंत्री जी का बयान सुन रहा था, इन्होंने कहा कि यह पाप है, तो हमारे जो राष्ट्रपिता हुए हैं, महात्मा गाँधी साहब, जिन्हें कुछ लोग चतुर बनिया भी कहते हैं, उन्होंने कहा था, "पाप से घृणा करो, पापी से मत करो"। अगर यह पाप भी है, तो ये पापियों को क्यों सजा दे रहे हैं? मुसलमानों में शादी क्या है? ...**(समय की घंटी)**... कई जगह ज़िक्र हो रहा है कि यह civil contract है। यह जबर्दस्ती नहीं हो सकती, यह कुछ दान देकर, कन्यादान देकर नहीं हो सकती। यह किसी को मदहोश करके उससे लैंगिक संबंध, यौन संबंध स्थापित करने के बाद नहीं हो सकती। यह आसुरी विवाह या राक्षस विवाह की तरह जबरन नहीं की जा सकती। यह एक civil contract है और civil contract की यह विशेषता होती है कि उसमें शामिल पक्ष यदि उस contract से सहमत नहीं है, तो वह उस contract से बाहर जा सकता है। इतना कानून मेरी समझ में आया है। जब इस civil contract के संबंध में कानून के अंदर यह व्यवस्था है, तो इसका अपराधीकरण करना बहुत नेकनीयती का काम नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

† جناب جاوید علی خان مجھے پتہ ہے کہ جب کوئی دو زبانوں والا جی ہوتا ہے، تو وہ کتنا معصوم ہوتا ہے۔ مے بھی ہم سب جانتے ہی۔

مارٹھے آپ سبھاپتی جی، مے قانون کا بھنے قائم کرنے کے لئے کئی جائے گا۔ جب سے اس بل پر چرچہ چلی، تب مے نے تھوڑا سا قانون پڑھنا شروع کئی، ویسے تو مے انجئرنگ کا وڈیڑتھی ہوں اور راجرٹیک کا کارٹھے کرتا ہوں۔ Thorsten Sellin نے اکی

[شری جاوید اعلیٰ خان]

کتاب لکھی، اسٹڈی کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نکلنے کے شوق میں، نکلنے شاستر کے شوق میں جانکاری رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ Thorsten Sellin کی قانون کے شوق میں بڑی مانتا ہے۔ انہوں نے لکھا، ان کی اسٹڈی کا نشانہ ہے کہ دند اور ابراہم کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کیوں کہ جن دیشوں میں capital punishment نہیں ہے، وہاں پھر بھی ہتھکڑیاں پورہ ہیں اور جن دیشوں میں capital punishment نہیں ہے وہاں ہتھکڑیوں کا گراف گر رہا ہے۔ پھر میں نے ایک اور سماج شاعری کو، قانون واد کو پڑھا۔ ان کی بھی بہت مانتا ہے۔ ہم کون سے کام کو، کون سے کرتوت کو ابراہم کی کٹاگری میں رکھ سکتے ہیں؟ John Stuart Mill ایک برٹش دارشک ہیں، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کارروائی جس سے پبلک ڈس آرڈر ہونے کے چانس ہیں، ٹی پبلک آرڈر خراب ہوتا ہو، اسی کو ہم ابراہم کی سنکھٹی میں رکھ سکتے ہیں، ابراہم کی شری میں رکھ سکتے ہیں۔ صاحب، طلاق دینے سے کون سا پبلک ڈس آرڈر ہو رہا ہے؟ کئی بار اعلیٰ شادلی ہوتی ہیں، مختار بھائی چلے گئے، ورنہ میں ان کے سامنے ان کا حوالہ دیتا، کئی بار اعلیٰ شادلی ہوتی ہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں، جن سے پبلک ڈس آرڈر ہوتا ہے، عری پریم وواہ ہوتے ہیں۔ Inter-religion marriages ہوتی ہیں، inter-caste marriages ہوتی ہیں، گاؤں میں، قصبوں میں دنگے ہونے کی نوبت آجاتی ہے۔ منتری اگر اس کو ابراہم کی کٹاگری میں رکھ رہے ہیں، تو کئی پریم وواہ کو، جس سے سیدھے سیدھے ڈس آرڈر ہونے کی سمبھاؤنا کئی جگہوں پر ظاہر ہوجاتی ہے، اسے بھی ابراہم کی کٹاگری میں رکھ کر John Stuart Mill صاحب کو شردھانجلی اڑت کریں گے؟۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ Montesquieu صاحب، جو فرانسیسی قانون وِد ہیں، میں پڑھ کر آئی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ بھوپندر جی پہلے سے مسکرا ہی رہے ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔



انہوں نے کہا کہ without absolute necessity جب تک پر اوشیکنا نہ ہو، تب تک اگر کسی کرتب کو اپرادھ کی کٹگری میں رکھا جائے گا، تو وہ اتھین ہوگا۔ انہوں نے اس کے لئے tyranny لفظ کا استعمال کیا ہے۔ انگریزی کا پروناؤنشن مجھے ٹھیک سے نہیں پتہ ہے۔ میں نے جب ڈکشنری میں دیکھا، تو اس کے معنی نرنکشتا، اُت پھٹن تھے۔ صاحب آپ اب بتاؤ کہ کی طلاق ڈس آرڈر کرکٹ کرنے والا اتنا امپارٹنٹ کرتب ہے؟ جو اس کا قانونی پکش تھا، وہ ہماری بہن، کانگریس کی رتھا، کانگریس کی وکنا، ڈاکٹر امی ٹیگیک جی نے بنا دی اور جو مٹلاؤں کے ساکشی کرن میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک بار میں منتری جی کا بطن سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پاپ ہے، تو ہمارے جو راشٹرپتا ہوئے ہیں، مہاتما گاندھی صاحب، جنہی کچھ لوگ چٹر بنی بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، ”پاپ سے گھرنا کرو، پاپی سے مت کرو۔“ اگر یہ پاپ بھی ہے، تو یہ پاپیوں کو کھوں سزا دے رہے ہیں؟ مسلمانوں میں شادی کی ہے؟۔۔۔(وقت کی گھنٹی)۔۔۔ کی جگہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سول کانٹریکٹ ہے۔ یہ زبردستی نہیں ہوسکتی، یہ کچھ دان دیکر، کرپادان دیکر نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی کو مدبوش کر کے اس سے لینگ سمبندھ، یں سمبندھ استہاپت کرنے کے بعد نہیں سکتی۔ یہ آسری وواہ علی راکشس وواہ کی طرح جبرا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک سول-کانٹریکٹ ہے اور سول-کانٹریکٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے، کہ اس میں شامل پکش اگر اس کانٹریکٹ سے سہمت نہیں ہے، تو وہ اس کانٹریکٹ سے باہر جا سکتا ہے۔ اتنا قانون میں سمجھ میں آتا ہے۔ جب اس سول-کانٹریکٹ کے سمبندھ میں قانون کے اندر یہ ویستھا ہے، تو اس کا اپرادھ کرنا بہت بڑی تھقی کا کام نہیں ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: जावेद जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री जावेद अली खान: सर, मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूँ कि कानून का जो यह दस्तावेज, यह बिल आया है, यह मुझे कानून के दायरे में कम लगा और राजनीति, कोई स्कोर बनाने के दायरे में ज्यादा लगा। लास्ट बात, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वोट बैंक को साधने के लिए इसकी मुखालफत की जा रही है। ...**(समय की घंटी)**... मैं खास तौर से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब वे अपना रिप्लाय दे, तो ज़रा उस वोट बैंक की कम्पोज़िशन को भी बताएँ कि उसमें कौन-कौन लोग हैं।...**(व्यवधान)**... थैंक यू।

† جناب جاوید علی خان: سر، می آخری بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا جو ہی دستاویز،

ہی بل آ رہا ہے، ہی مجھے قانون کے دائرے میں کم لگا اور راجنٹری، کوئی اسکور بنانے کے دائرے میں زائدہ لگا۔ لاسٹ بات، مائنٹے منٹری جی نے کہا کہ ووٹ بینک کو سادھنے کے لئے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔۔۔(وقت کی گھنٹی)۔۔۔ میں خاص طور سے مائنٹے منٹری سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہی اپنا ریپلائی دی، تو ذرا اس ووٹ بینک کی کمپوزیشن کو بھی بتائیں کہ اس میں کون کون لوگ ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ تھنک ی۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A. Navaneethakrishnan. You have three speakers from your Party and time allotted is ten minutes. So, take three minutes each.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): No, Sir. Let him speak. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't comment like this while being seated.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 is unconstitutional, arbitrary and illegal. It is not sustainable under law. I humbly submit to this House that Parliament has no legislative competence to entertain this Bill. I may be permitted to quote Entry 5 of List-III of Seventh Schedule. Entry 1 of the same deals with criminal law. It is not included in List-I or List-II. I would like to draw the kind attention of this House to Entry 5 of List-III. I may be permitted to quote. It reads, "Marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this Constitution subject to their personal law". It says, "subject to their personal law". So, this is guaranteed in our Constitution. Now, the Bill deals with child custody or custody of children and it also makes triple *talaq* an offence.

This Bill has retrospective effect from 19th day of September, 2018. I think no law can have retrospective effect. I may be permitted to quote Article 20 of the Constitution. Article 20(1) says, "No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence." This Bill is yet to be passed. Today, voting will take place. So, the law, which is yet to be passed, declares that it shall be deemed to have come into force on the 19th day of September, 2018. Sir, it is unconstitutional and it is against Article 20(1) of the Constitution.

Then, I would come to Clause 4 of the Bill which says, "Any Muslim husband who pronounces *talaq* referred to in Section 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine." It is very well known and every student of law knows that Muslim marriage is a civil contract. It is simple and pure. The breach of civil contract cannot be termed as an offence. So, Clause 4 of the Bill cannot stand judicial scrutiny. Of course, our demand for scrutiny by a Select Committee was not accepted by the Central Government. Definitely, Clause 4 would not stand judicial scrutiny. What is an offence? An 'offence' is defined in the General Clauses Act, 1897. I may be permitted to quote the definition of 'offence' from the General Clauses Act, 1897. It says, I quote, "offence shall mean any act or omission made punishable by any law for the time being in force."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have two more speakers. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: No, no. They are not speaking. ...*(Interruptions)*...

The offence shall mean any act or omission made punishable by law for the time being in force. Now, the Supreme Court has held that the practice of triple *talaq* is not permitted in Muslim law, not permitted in Quran. It is null and void and unconstitutional. There is no act called Triple *Talaq*—an act, which has been declared by the Supreme Court as null and void and unconstitutional. So, if an act is to be declared as an offence, it must be an act. There is no act. It is null and void. It is unconstitutional. It is not recognized. So, it is only an empty phrase. Merely because the Muslim husband pronounces triple *talaq*, it cannot have any adverse impact, any adverse consequences. It will not create law and order problem. It will not affect the society. Pronouncing triple *talaq* will not have any consequences. There is no act. You cannot declare the triple *talaq* as an act under Clause 4 of this Bill. My humble

[Shri A. Navaneethakrishnan]

submission would be that an act which is not in existence has already been declared by the Supreme Court null and void. It is not permitted, recognized in the Muslim law. This Parliament cannot declare this act, namely, the triple *talaq* as an offence. Clause 4 cannot stand the scrutiny of our judicial forum.

Then, I would like to draw the kind attention to the children custody. The children custody is very, very important. Even other Members also pointed out, desertions are taking place. The children, who are deserted by the parents, form a separate category. Their interest is to be protected. I think, that matter is pending before the Supreme Court also in a Public Interest Litigation. Now, already, a secular law, namely, the Guardians and Wards Act is governing this adoption and custody of the Muslim children. That Act very clearly says that the welfare of the children alone is of paramount consideration in all matters regarding the custody of the children. It is a settled law. Also, as per this Act, Guardians and Wards Act, as well in Hindu law also, in the custody matters, the jurisdiction is given only to the higher courts, namely, District Courts, High Courts and not to the Magistrate. Clause 6 contemplates that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a married Muslim woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of pronouncement of *talaq* by her husband, in such manner as may be determined by the Magistrate. I am of the humble view that Magistrate cannot be entrusted with this kind of a decision because in custody of a minor child, always welfare of the minor child will be taken into consideration, whether it is father or mother, it is immaterial. Now, this provision contemplates that custody of the minor child must be given to mother irrespective of the welfare of the minor child. This is against law, against public policy, against public interest. Also, giving jurisdiction to the Magistrate is not acceptable. Already, District Courts, High Courts are dealing with this matter and the matter is normally going up to the Supreme Court. So, this Clause also will not stand the judicial scrutiny. And, then, considering these aspects, my humble submission would be that this Bill is the most important Bill touching upon the lives of the human beings. So, it must be referred to a Select Committee for deeper consideration. According to me, this Parliament has no jurisdiction, no legislative competence. And also, the minor custody matter cannot be entrusted to the Magistrate. And also, the welfare of the minor child is ignored totally in this provision. So, the Magistrate has no other way except to handover the child to the wife.



My humble submission would be that in the larger public interest as a Parliament, and also, this House being the House of Elders; it may be referred to a Select Committee. Also, I strongly oppose this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you have used the entire time of your party. So, there will be no more speakers from your party. ...*(Interruptions)*... No; not allowed. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Prasanna Acharya.

SHRI PRASANNAACHARYA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, from last evening and this morning, I have been receiving numerous telephone calls from friends and from some of the hon. Members of this House also, as to what should be my party's stand on this Bill. Sir, this is a question of women empowerment. As you know, my party, the Biju Janata Dal and our Government in Odisha, led by Shri Naveen Patnaik, has always been working for women empowerment. The latest example being, in the last Lok Sabha elections, we gave one-third of the Lok Sabha tickets to women, and you will be happy to know that in this Lok Sabha, out of 21 seats from Odisha, 7 women MPs are there. So, we are always in favour of women empowerment.

Secondly, Sir, during the introductory speech, the hon. Law Minister was quoting the Supreme Court Judgement. We all respect the Judgement of the Supreme Court, and I will reiterate what the hon. Minister was saying. The hon. Judges in their separate judgement—the minority judgement—have implored the legislature to bestow its thoughtful—you were mentioning—consideration to this issue of paramount importance. They have also beseeched different political parties to keep their individual political gains apart—different political parties, this party, that party and that party also—while considering the necessary measures requiring legislation. The majority judgement clearly states that triple talaq lacks legal sanctity. It lacks legal sanctity, and Justice Kurian Joseph, you were mentioning, has completely disagreed on the statement that Triple Talaq is an integral part of the religious practice. Moreover, when in the 16th Lok Sabha, you brought this Bill; my party had brought certain amendments. I am thankful to the Minister that almost all those amendments have been accepted by the hon. Minister, and the Bill has come in a new shape in the Lok Sabha which has been passed. So, my party's stand is to support this Bill.

But, Sir, I am not a lawyer. The hon. Law Minister is a very renowned lawyer. Other renowned lawyers of the country are all sitting here. Shri Navaneethakrishnan is also a very famous lawyer. He is not here now. He was interpreting the law. I have certain doubts. I would request the Minister to clear that while replying. Again, I reiterate

[Shri Prasanna Acharya]

that I am not a lawyer. As a layman, I am expressing my doubts here. Sir, in Clause 3 of this Bill, it is said that any pronouncement of *talaq* by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal. Apart from this, the effect of the hon. Supreme Court Judgement is also that the marriage is legally valid and the persons continue to be lawfully wedded even after pronouncing *talaq*. Shri Navaneethakrishnan was mentioning it. Clause 4 of the Bill says, "Any Muslim husband who pronounces *talaq* referred to in Section 3 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine." Again, Clause 7 says, "An offence punishable under this Act shall be cognizable". Now this brings the question as to how after rendering *talaq-e-biddat* inoperative in Clause 3—in Clause 3, you have made it inoperative; as per the Supreme Court judgement, it is inoperative—its oratory or written pronouncement can be considered a cognizable offence in Clauses 4 and 7? That is my question as a layman to the hon. Minister. Kindly explain it. Under Clause 3, you make it void. If a Muslim husband says, "*talaq, talaq, talaq*" it will no longer be effective. And what is not in action, how the subsequent things can come up? That is my question as a layman to the hon. Minister. Kindly explain it. ...*(Interruptions)*... I am supporting the Bill. ...*(Interruptions)*... This is my doubt that I am placing and I want the hon. Minister to please clarify it. Another thing is, the woman, the victim, the lady or any of her blood relations or any of her in-laws can file a complaint with the police. My apprehension is that this clause may be misused. Even without the knowledge and without the consent of the victim, any of her relatives can go to the police station and drag the lady to the court also. So please reconsider this provision. I think only the woman, the victim should be given permission or should be allowed to lodge a complaint with the police, if she so likes. That is my submission. *Talaq* is all the time unilateral. A husband says, "*talaq, talaq, talaq*," and there is divorce. Suppose a Muslim woman who wants to give *talaq* to his husband, is it unilateral? Yes, there is a system called *Khula*. But in *Khula*, the wife will appeal to the husband, "Please divorce me" and if the husband agrees, then only the tortured wife, the suffering wife can get *talaq*. My submission to the hon. Minister is, please make some such provision in the law. If you say that you want to equate women with men, there should be no discrimination. If a man, a husband can give *talaq* or divorce a lady unilaterally, why not the wife has the same right? You have no such provision in the Bill. ...*(Time-Bell rings)*... Sir, please allow me for two-three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have one minute.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, we are saying that it is social reformation. We want to emancipate the women, free them from torture and remove the social stigma. Reformation is a continuous process and whenever there is reformation in the society, — *Satidaha Pratha* was there in the Hindu society and Raja Ram Mohan Roy fought throughout his life—there is a lot of resentment. People opposed Raja Ram Mohan Roy and, ultimately, the British Government had to come up with a law. So my point is...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prasanna Acharyaji, please conclude.

SHRI PRASANNA ACHARYA: I am concluding. My last point is, मुझे लगता है कि हम सब लोग double speak करते हैं, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह कानून इसलिए लाया गया है कि हमें मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलानी चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी तो काफी लोगों ने उसका विरोध किया। इसी प्रकार सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने order करके महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया, तब भी हम उसका विरोध करते हैं। क्या यह double speak नहीं है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI PRASANNA ACHARYA: We are talking about empowering the women. तो women का मतलब केवल मुस्लिम महिला नहीं है, केवल हिन्दू महिला नहीं है, केवल क्रिश्चियन महिला नहीं है - समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, सबको मुक्ति दिलाने वाला कानून होना चाहिए। इसीलिए मेरी यह अपील है। I support this Bill, but I would request the hon. Minister, whatever discrepancies I have described, kindly clarify while you answer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Elamaram Kareem.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I oppose this Bill. This is not for the protection of Muslim women's right, but to create an insecure feeling among the largest minority community in our country. Our party, CPI(M), opposes *talaq*, particularly, the triple *talaq*. The specific practice is not permitted in most of the Islamic countries. Acceptance of this demand will bring relief to the affected women. At the same time, we also urge that all personal laws, including those for the majority community, require reform. Sir, this Bill is against the basic principles of legislation and against the well-established constitutional precedents and procedures. A legislation starts with, 'on the basis of necessity', and the promulgation of Ordinance starts with, 'on the basis of urgency.' Here, in this case, no such demand is there because the hon. Supreme Court has already

[Shri Elamaram Kareem]

struck down triple *talaq* as null and void. As we all know that the verdict of the Supreme Court is the law of the land. If the Supreme Court has pronounced a judgment wherein it has been held that triple *talaq* is illegal, it is considered as illegal by our existing law itself. Then, what is the need of introducing a Bill of this kind? This is nothing but the hidden agenda of this Government to impose the ideas of Uniform Civil Code in our society.

My first contention is that the Bill is discriminatory in nature. It deals with the cases under the Code of Criminal Procedure. It is to be noted that all other religious marriage Acts deal with the cases under the Code of Civil Procedure, and have simple penal provisions in case of their violation. The hon. Supreme Court in Shayara Bano *versus* Union of India and others case of August 2017, in a majority judgment, set aside the practice of triple *talaq-e-biddat*, that is, pronouncement of *talaq* three times at the same time. It said that the instant triple *talaq* is void, unconstitutional, discriminatory, and un-Islamic for the simple reason that it is unilateral act on the part of a man, without giving the woman any opportunity whatsoever, to reconcile her marriage. But, I am surprised to see that repeatedly this Government says in the Statement of Objects and Reasons that by this Bill, the Government is acting at the behest of the Supreme Court judgment. Nowhere, in the 300-page judgment, has the court said that the instant triple *talaq* needs to be criminalised. Sir, I would like to know whether the Government is very serious about the problems which the Muslim women are confronted with. The Government has to take some measures. According to the available data, the work participation ratio of Muslim women is at 14.1 per cent, that is, at the lowest among all socio- religious communities. Muslim female literacy rate is at 50.1 per cent, which is also lower than all other communities. The school completion rate is lower than those of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If the Government is serious, it should take up those issues. As per Article 141 of the Constitution, the judgment of Supreme Court is the law of the land. Then, why is the Government in such a hurry to make such a controversial law? The Personal Law has the protection of Article 25 of the Constitution of India, that is, on freedom of religion, marriage, divorce, inheritance, custody of children etc. These are integral part of the Personal Law and the Government has no right to interfere in this. The present legislation is unconstitutional and ill-motivated. In other words, it is a denial of the fundamental rights, as guaranteed in the Constitution.

The Statement of Objects and Reasons of this Bill says one thing that there is hidden agenda for you in this Bill. It is nothing but to pave the way for encroachment



on the freedom of faith, freedom of practice and profess one's own religion, and making an entry to the Common Civil Code ...*(Interruptions)*... You are fabricating ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Elamaram Kareem, please conclude. You have already taken more time.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I am just concluding. I just want to remind the Treasury Benches one thing. One defeat or one victory in one election is not the end of the history. May 23rd is not the last calendar day of Indian history. With this, I conclude. Thank you.

---

#### RESIGNATION BY MEMBER

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that hon. Chairman has received a letter dated 30th July, 2019 from Dr. Sanjay Singh, Member, representing the State of Assam, resigning his seat in the Rajya Sabha. Mr. Chairman has accepted the resignation with effect from the 30th July, 2019.

---

#### GOVERNMENT BILLS *(Contd.)*

##### **Statutory Resolution disapproving the Muslim Women (Protection of Rights On Marriage) Second Ordinance, 2019**

**and**

##### **The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir, this is an important discussion ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Jha to speak, please. आप बोलिए।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया सदन में शांति बनाए रखें। ...*(व्यवधान)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, how can I speak if everybody is conversing with each other?